न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 519/2025

शिम्भुसिंह दत्तक पुत्र कालूसिंह, जाति राजपूत निवासी जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
—— आवेदक

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र स्व0 नत्थूसिंह, जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं।
2. गुमान सिंह पुत्र स्व0 महीपाल सिंह,
3. गुलाब सिहं पुत्र स्व0 नत्थूसिंह,
4. जयसिंह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश,
5. प्रेमदेवी पत्नी स्व0 प्रेमसिंह,
6. फूलसिंह पुत्र स्व0 नत्थूसिंह,
7. बुद्धसिंह पुत्र स्व0 नत्थूसिंह,
8. मनोज सिंह पुत्र स्व0 मेघसिंह,
9. महेन्द्र सिहं पुत्र स्व0 मेघसिंह,
10. राकेश पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सिंह,
11. राजेश पुत्र स्व0 नत्थूसिंह,
12. राजवीर पुत्र स्व0 मेघसिंह,
13. रोहताश पुत्र स्व0 प्रेमसिंह,
14. सज्जन सिंह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश,
    समस्त जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं।
15. मु0 स्नेहलता पुत्री स्व0 प्रेमसिंह पत्नी सुरेन्द्र सिंह, जाति राजपूत हाल निवासी हंसासर, तहसील रतनगढ़ जिला चुरू।
16. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 प्रेमसिंह, जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं।
17. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 ओमप्रकाश सिंह, जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं।
18. श्री रामकुमार पूनियां, तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अनावेदकगण

उपस्थितः—

1. श्री नवीनचन्द्र महला, एडवोकेट— आवेदक की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, अभिभाषक— अनावेदक सं0 1 व 16 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— अनावेदक संख्या 18 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थी सं0 2 लगायत 15 व 17 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

———

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम प्रार्थना पत्र खिलाफ पीठासीन अधिकारी श्री रामकुमार पूनिया, तहसीलदार, तहसील चिडावा, मुकदमा उनवानी शिम्भूसिंह बनाम गुमानसिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956, मु0नं0 67/2024, ता0पे0 02.12.2025

———

आदेश

दिनांक 05.03.2026

आवेदक के अनुसार प्रार्थना पत्र इस प्रकार पेश है कि प्रार्थी ने जमीन खसरा नं0 154 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 155 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नं0 190 रकबा 0.5 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 114 के खसरा नं0 192 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 193 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नं0 375 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.63 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4 हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 115 के खसरा नं0 587/188 रकबा 1.2018 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2018 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का हिस्सा 10925/12018 हैक्टर के बाबत नामान्तरकरण तस्दीक करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ के यहां पेश किया जो अब तहसीलदार चिडावा के यहां विचाराधीन है। इस प्रकरण मे न्यायालय तहसीलदार चिडावा के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की आशा नही है। इस कारण प्रार्थी की ओर से यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र नीचे लिखे अनुसार पेश है कि आवेदक ने जमीन खसरा नं0 154 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 155 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नं0 190 रकबा 0.5 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4 हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 114 के खसरा नं0 192 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 193 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नं0 375 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.63 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4 हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 115 के खसरा नं0 587/188 रकबा 1.2018 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2018 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का हिस्सा 10925/12018 हैक्टर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज भूमि कालूसिंह पुत्र श्री शिलू सिंह, जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है। कालूसिंह पुत्र शिलू सिंह अविवाहित व्यक्ति था जिसने प्रार्थी शिम्भू सिंह जाईन्दा पुत्र महिपाल सिंह दत्तक पुत्र कालूसिंह ने दिनांक 26.06.1979 को प्रार्थी को गोद लेकर गोद की समस्त रस्मे समाज के लोगों मे मेरे पिता कालूसिंह ने अदा की व मिठाई बांटी व प्रार्थी को गोद मे बिठाकर बेटा मानकर गिविंग व टेकिंग की रस्म अदा की। उसके बाद दत्तक पुत्र के रूप मे पालन पोषण किया व उक्त कालूसिंह प्रार्थी के पास ही रहा। प्रार्थी के बालिग होने के बाद अपने दत्तक पिता कालूसिंह की देखरेख की व पूरे जीवन मे प्रार्थी के पास ही रहे व दिनांक 27.05.2002 को उक्त कालूसिंह की मृत्यु हो गई जिसका अन्तिम संस्कार, पिण्डदान व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार जो भी पुत्र की हैषियत से कार्य होते है वो प्रार्थी ने किये व समाज व गांव मे प्रार्थी के द्वारा मृत्यु भोज अपने पिता की मृत्यु पर किया गया। धारा 1 मे वर्णित जमीन कालूसिंह पुत्र शिलूसिंह दर्ज हिस्सानुसार बिना कोई बाधा उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय मे निर्णय अनावेदकगण के पक्ष मे करने की धमकी दी। इस कारण न्याय की आशा न होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विधिसम्मत तथ्य है कि न्याय होना ही नही चाहिए बल्कि न्याय हो रहा है यह दिखाई भी देना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनावेदकगण रामचन्द व अन्य के साथ बैठकर काफी बातचीत करते है व अनावेदक को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते हुए कई बार देखा है। इससे पूर्ण अंदेशा है कि प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका देखने से भी स्पष्ट पता चलता है कि उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी कितनी रूचि ले रहे है व 5–7 दिन की तारीख पेशी दे रहे है। दिनांक 17.11.2025 को धमकी दी कि उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के खिलाफ किया जायेगा जिस पर प्रार्थी ने उक्त पत्रावली की आदेशिका की नकल लेने के लिए दिनांक 19.11.2025 को आवेदन पत्र पेश किया जो आज दिनांक तक नकल नही दी गई है। इससे भी प्रतीत होता है कि उक्त पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के खिलाफ कभी भी उक्त प्रकरण का निस्तारण कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय तहसीलदार चिडावा से अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार चिडावा से वस्तुस्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार चिडावा ने पत्रांक 3554 दिनांक 02.12.2025 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मनघढन्त व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित पेश किया गया है। प्रार्थी ने पूर्व मे भी दो बार पत्रावली स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये है। अगर इस न्यायालय की उक्त पत्रावली अन्यत्र स्थानान्तरित की जाती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई आपतित नही है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि आवेदक ने जमीन खसरा नं0 154 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 155 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नं0 189 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नं0 190 रकबा 0.5 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 1.49 हैक्टर वाके ग्राम जाखोद मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4 हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 114 के खसरा नं0 192 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नं0 193 रकबा 2.28 हैक्टर, खसरा नं0 375 रकबा 0.15 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.63 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का 1/4 हिस्सा व भूमि खाता नं0 नया 115 के खसरा नं0 587/188 रकबा 1.2018 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.2018 हैक्टर मे प्रार्थी के पिता कालूसिंह का हिस्सा 10925/12018 हैक्टर है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे दर्ज भूमि कालूसिंह पुत्र श्री शिलू सिंह, जाति राजपूत, निवासी जाखोद, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है। कालूसिंह पुत्र शिलू सिंह अविवाहित व्यक्ति था जिसने प्रार्थी शिम्भू सिंह जाईन्दा पुत्र महिपाल सिंह दत्तक पुत्र कालूसिंह ने दिनांक 26.06.1979 को प्रार्थी को गोद लेकर गोद की समस्त रस्मे समाज के लोगों मे मेरे पिता कालूसिंह ने अदा की व मिठाई बांटी व प्रार्थी को गोद मे बिठाकर बेटा मानकर गिविंग व टेकिंग की रस्म अदा की। उसके बाद दत्तक पुत्र के रूप मे पालन पोषण किया व उक्त कालूसिंह प्रार्थी के पास ही रहा। प्रार्थी के बालिग होने के बाद अपने दत्तक पिता कालूसिंह की देखरेख की व पूरे जीवन मे प्रार्थी के पास ही रहे व दिनांक 27.05.2002 को उक्त कालूसिंह की मृत्यु हो गई जिसका अन्तिम संस्कार, पिण्डदान व हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार जो भी पुत्र की हैषियत से कार्य होते है वो प्रार्थी ने किये व समाज व गांव मे प्रार्थी के द्वारा मृत्यु भोज अपने पिता की मृत्यु पर किया गया। धारा 1 मे वर्णित जमीन कालूसिंह पुत्र शिलूसिंह दर्ज हिस्सानुसार बिना कोई बाधा उक्त भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित व उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने न्यायालय मे निर्णय अनावेदकगण के पक्ष मे करने की धमकी दी। इस कारण न्याय की आशा न होने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। विधिसम्मत तथ्य है कि न्याय होना ही नही चाहिए बल्कि न्याय हो रहा है यह दिखाई भी देना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनावेदकगण रामचन्द व अन्य के साथ बैठकर काफी बातचीत करते है व अनावेदक को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से बाहर निकलते हुए कई बार देखा है। इससे पूर्ण अंदेशा है कि प्रार्थी को न्याय नही मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका देखने से भी स्पष्ट पता चलता है कि उक्त प्रकरण मे पीठासीन अधिकारी कितनी रूचि ले रहे है व 5–7 दिन की तारीख पेशी दे रहे है। दिनांक 17.11.2025 को धमकी दी कि उक्त प्रकरण का निस्तारण प्रार्थी के खिलाफ किया जायेगा जिस पर प्रार्थी ने उक्त पत्रावली की आदेशिका की नकल लेने के लिए दिनांक 19.11.2025 को आवेदन पत्र पेश किया जो आज दिनांक तक नकल नही दी गई है। इससे भी प्रतीत होता है कि उक्त पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के खिलाफ कभी भी उक्त प्रकरण का निस्तारण कर सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को न्यायालय तहसीलदार चिडावा से अन्य सक्षम न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 लगायत 15 व 17 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 15 व 17 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी सं0 1 व 16 ने वकील आवेदक के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गोद पुत्र के आधार पर पेश कर रखा है जो तहसीलदार चिड़ावा के यहां विचाराधीन है। हमारे द्वारा प्रकरण में दस्तावेज जिनमे स्कूल रिकार्ड, मतदाता सूची आदि है जिनमें मूल पिता का नाम महिपाल सिंह का ही नाम दर्ज है। गोद पुत्र के रूप में कोई वल्दियत दर्ज नहीं है। सन् 1989 में गोद लेना बताया है। जवाब के साथ दस्तावेज पेश किया है। नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। प्रार्थी के द्वारा पहले भी तहसीलदार चिड़ावा के विरूद्ध प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा को पेश किया था जो तहसीलदार का स्थानान्तरण होने पर सारहीन होने से खारिज कर दिया गया था। अब इनके द्वारा दुसरे तहसीलदार के विरूद्ध भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा का पेश कर दिया। मूल प्रकरण में अपने गोदनामें के बाबत कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। नियमित वाद से ही गोद का विवाद तय होगा। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक देरी के उदेश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

यह प्रार्थना पत्र मुकदमा स्थानान्तरण निराधार तथ्यों पर पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

राजकीय अभिभाषक प्रार्थी सं0 18 ने अपनी बहस में वकील आवेदक के कथनों का विरोध किया तथा कथन किया कि तहसीलदार, चिड़ावा द्वारा पक्षकारान् को समुचित रूप से सुना गया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्य आधारहीन है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार चिड़ावा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का भी अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार चिड़ावा के यहां विचाराधीन वाद संख्या 67/2024 उनवानी शिंभुसिंह बनाम गुमान सिहं प्रार्थना पत्र अ.धा. 135(2) को अन्यत्र स्थानान्तरण करने का अनुतोष चाहा है। तहसीलदार चिड़ावा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में दो पत्रावली स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये है। साथ ही प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य या तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थी के कथनों को बल मिलता हो। ऐसे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(डॉ. अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं